विहंगावलोकन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 हेतु 11 योजनाओं की लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा करने का प्रयास किया गया था। तथापि, अनवरत प्रयासों के बावजूद, लेखापरीक्षा दलों द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए एवं कई प्रकरणों में लेखापरीक्षा की अवधि में जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर उपलब्ध नहीं कराये गये, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 हेतु 10 योजनाओं (नरेगा–सॉफ्ट ग्रामीण विकास विभाग पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा, खेल विभाग की गतिविधियां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–कृषि विभाग, जन्म एवं मृत्यु पंजीयक की कार्यविधि–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना का कार्यान्वयन–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग की गतिविधियां, जेलों की कार्य पद्धति–कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु आदर्श नगर योजना का कार्यान्वयन–शहरी विकास विभाग एवं रीजूविनेशन ऑफ रिवर गंगा–पंचायती राज विभाग) की लेखापरीक्षा के दौरान 455 इकाइयों में से 108 इकाइयों द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा वांक्षित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा हेतु वांछित अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश क प्रयोग को गंभीर रुप से सीमित करता है तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों की जवाबदेही के अभाव एवं धोखाधड़ी, दुर्विनियोग व ग़बन इत्यादि को छुपाने के रूप में परिणामित हो सकता है। अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के प्रकरणों को सतर्कता की दृष्टिकोण से चिन्हित करत हुऐ संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार से उचित कार्यवाही करन का आग्रह किया जाता है।

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षित सात योजनाओं (नरेगा–सॉफ्ट पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा, खेल विभाग की गतिविधयां, तकनीकी शिक्षा विभाग की गतिविधियां, गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना का कार्यान्वयन, जेलों की कार्य पद्धति, एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम तथा छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु आदर्श नगर योजना का कार्यान्वयन) के सम्बन्ध में जारी किए गए 4,046 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के सापेक्ष संबंधित प्रभारी अधिकारियों से 787 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए तथा 164 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के आंशिक उत्तर प्राप्त हुए।

संबंधित प्रशासकीय सचिवों को प्रेषित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सापेक्ष 11 प्रकरणों (सिंचाई विभाग–09, राजस्व विभाग–01 एवं पंचायती राज विभाग–01) के उत्तर प्राप्त नहीं हुए ।

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में *'गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना', 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'* तथा *'जन्म एवं मृत्यु पंजीयकों की कार्यविधियों'* पर की गई लेखापरीक्षा के निष्कर्ष एवं शासकीय विभागों से संबंधित सात अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है।

गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना की लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और राजधानी में जल आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लखनऊ में गोमती नदी पर विश्व स्तरीय रिवरफ्रंट विकसित करने के लिये ₹ 656.58 करोड़ की अनुमानित लागत पर गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना (परियोजना) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2015)। परियोजना की लागत जून 2016 में, मार्च 2017 तक पूरा होने की निर्धारित तिथि के साथ, ₹ 1,513.52 करोड़ रुपये संशोधित की गई। इसके सापेक्ष सितंबर 2017 तक ₹ 1,447.84 करोड़ का व्यय किया गया और कार्य अपूर्ण है।

इस परियोजना में नदीतल की सफाई, नदी के दोनों किनारों पर डायाफ्राम वाल के निर्माण द्वारा जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए नदी का चैनलाइजेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवेज ले जाने के लिए इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन (अंडरग्राउंड–पाइपलाइन) का निर्माण, इन्फ्लैटेबुल रबर डैम का निर्माण और सौंदर्यीकरण/साइट विकास शामिल किया गया है।

समाचार पत्रों में निविदा आमन्त्रण सूचना के प्रकाशन से संबंधित साक्ष्यों की कूटरचना

- अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर की पत्रावलियों में, अधीक्षण अभियंता (सप्तम एवं द्वादशम् मण्डल) और अधिशासी अभियन्ता द्वारा ₹ 1,188.74 करोड़ लागत की निविदायें आमंत्रित करने से सम्बंधित 24 निविदा आमन्त्रण सूचनाओं के प्रकाशन के लिए निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को कथित रूप से निर्गत पत्रों की प्रतियां और निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से प्राप्त उत्तरों की प्रतियां, जिसमें निविदा सूचनाओं के प्रकाशन की पुष्टि की गयी थी, सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा ने इन पत्रों की प्रामाणिकता को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के साथ प्रति–सत्यापित किया और पाया कि इस परियोजना से सम्बन्धित कुल ₹ 662.58 करोड़ लागत की 23 निविदा आमन्त्रण सूचनाओं को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाचार पत्रों में निविदा आमन्त्रण सूचनाओं को प्रकाशित करने के साक्ष्यों की कूटरचना विशिष्ट फर्मों को अनुबन्ध प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी थी।

(प्रस्तर 2.1.2)

डायाफ्राम वाल का निर्माण

अधीक्षण अभियन्ता, द्वादशम् मण्डल द्वारा ₹ 516.73 करोड़ की लागत से डायाफ्राम वाल के निर्माण का कार्य मेसर्स गैमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया था।

- अधीक्षण अभियन्ता ने फरवरी 2015 में निविदा आमन्त्रण सूचना निर्गत करने के पश्चात, वित्त विभाग के निर्देशों और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुये निविदा आमन्त्रित करने की सूचना का शुद्धिपत्र जारी (मार्च 2015) किया जिसमें अर्हता सम्बन्धी मापदण्डों को कम कर दिया गया।

- समाचार पत्रों में शुद्धिपत्र प्रकाशित नहीं किया गया था; न ही निविदा प्रपत्रों के क्रेताओं को परिवर्तन के बारे में सूचित किए जाने के कोई अभिलेख उपलब्ध थे। फलस्वरूप प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ तथा विभाग अन्य निविदादाताओं से, जो शिथिल मानदंडों के अनुसार कदाचित पात्र बन गए होते, अधिक प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने के अवसर से वंचित रहा।

- इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि अनुबंध प्रदान करने से पूर्व निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा आमन्त्रण सूचनाओं का मूल्यांकन किया गया था।

- मूल निविदा अर्हता मानदंडों के अनुसार गैमन इंडिया अपात्र था क्योंकि उनके पास मिट्टी के बांध हेतु (अपेक्षित 20 लाख घनमी0 के सापेक्ष) मात्र 19 लाख घनमी0 मिट्टी की खुदाई के कार्य का अनुभव था। गैमन इंडिया शिथिल मानदंडों के अनुसार भी अपात्र था क्योंकि उनके पास हाइड्रोलिक संरचनाओं में अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं थी।

(प्रस्तर 2.1.3.1)

इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन अनुबंध

लखनऊ में गोमती नदी के चैनलाइजेशन के लिए इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन के निर्माण का ₹ 285.70 करोड़ की लागत का कार्य मैसर्स केके स्पन पाइप प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को प्रदान किया गया था।

- इस बात के कोई साक्ष्य नहीं थे कि निविदा मूल्यांकन समिति ने निविदाओं का कोई तकनीकी मूल्यांकन किया और न ही कोई तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई थी।

- फर्म वार्षिक कारोबार सम्बन्धी तकनीकी योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी और उसके द्वारा वित्तीय क्षमता पर जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए जाने वाले अनिवार्य प्रमाणपत्र को भी जमा नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी तकनीकी समिति ने अयोग्य फर्म की अनुशंसा की जिसका औचित्य अभिलेखों में दर्ज नहीं था।

- एक अन्य फर्म, मेसर्स पटेल इंजीनियर्स को, जो वार्षिक कारोबार सम्बन्धी तकनीकी योग्यता मानदण्डों को पूरा करती थी, इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि उन्होंने निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की थी। अर्ह निविदा को अस्वीकार करने में निविदा समिति की कार्रवाई त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि निविदा आमन्त्रण सूचना में ही निहित था कि वित्तीय निविदा के साथ धरोहर राशि जमा करना था और पटेल इंजीनियर्स ने यही किया था। यह स्पष्ट था कि निविदा समिति ने अयोग्य फर्म, केके स्पन का चयन करने के विशिष्ट उद्देश्य से योग्य फर्म को अस्वीकृत कर दिया था।

(प्रस्तर 2.1.3.2)

रबर डैम का निर्माण

हवा से भरे/पानी से भरे रबर डैम प्रणाली की आपूर्ति और स्थापना को सम्मिलित करते हुये रबर डैम से गोमती वीयर के उच्चीकरण का ₹ 60.27 करोड़ की लागत का कार्य मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया।

- शासनादेश और केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए इस कार्य के लिए निविदा आमन्त्रण सूचना किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की गयी थी।

- यद्यपि सिंचाई विभाग के मानक निविदा अभिलेखों में केन्द्रीय सर्तकता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित था कि निविदादाताओं के पास पूर्व व पर्याप्त समान अनुभव होना चाहिये, फिर भी इस कार्य के निविदा आमन्त्रण की सूचना में ऐसा पूर्व योग्यता मानदण्ड नहीं रखा गया।

- अनुबंध में यह प्रावधानित था कि विभाग वैश्विक निविदा आमंत्रित कर रबर मेम्ब्रेन (मूल्यांकित ₹ 31 करोड़) का आयात करेगा और इसे ठेकेदार को प्रदान करेगा। इसके बावजूद गैमन इंडिया को ₹18. 84 करोड़ (कस्टम ड्यूटी समेत) मूल्य की रबर मेम्ब्रेन स्वयं आयात करने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष विभाग ने फर्म को ₹ 29.24 करोड़ का भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक खजाने को हानि हुई और फर्म को ₹ 10.40 करोड़ रुपये का अदेय लाभ पहुंचा।

(प्रस्तर 2.1.3.3)

'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' की लेखापरीक्षा

भारत सरकार ने स्थायी रूप से क्षेत्रफल और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज के उत्पादन स्तर में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना आरंभ की (अक्टूबर 2007)। योजना को राज्य के चिन्हित जनपदो में पांच घटकों, यथा चावल, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज एवं वाणिज्यिक फसलों के लिये लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि पद्धतियों के उन्नत पैकेज प्रदर्शन, बीज–वितरण, पोषकतत्व–प्रबन्धन, कृषि यन्त्रीकरण तथा प्रशिक्षण को योजना की मुख्य निविष्टियां के रूप में प्रावधानित करता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का कार्यान्वयन, 27 जनपदों में चावल के उत्पादन हेतु, 39 जनपदों में गेहूं के उत्पादन हेतु एवं समस्त 75 जनपदों में दलहन के उत्पादन हेतु किया गया था। वर्ष 2012–17 की अवधि में योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिये सम्पादित लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:

नियोजन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन हेतु नियोजन में विसंगति थी। न तो किसी प्रकार का आधारभूत सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता–अध्ययन किया गया था और न क्षेत्र स्तर पर कृषकों द्वारा अपेक्षित प्राथमिकताओं, क्षमताओं एवं विभिन्न निविष्टियों की मांगो को सुनिश्चित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप योजनान्तर्गत सवंर्धित पद्धतियों को अंगीकार करने में कृषकों की अभिरूचि कम रही।

(प्रस्तर 2.2.4)

वित्तीय प्रबन्धन

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2012–2017 की अवधि में उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,284.82 करोड़ की धनराशि में से विभाग केवल ₹ 1,013.29 करोड़ (79 प्रतिशत) का ही उपयोग कर सका। प्रत्येक वर्ष के अन्त में अव्ययित धनराशि शेष रही है तथा योजनान्तर्गत व्यय पर्याप्त रुप से घटकर वर्ष 2014–15 में ₹ 303.65 करोड़ से वर्ष 2016–17 में ₹ 127.38 करोड़ रह गया।

(प्रस्तर 2.2.5.1)

अनुदान का भुगतान न होना

नमूना जाँच हेतु चयनित, 10 जनपदों में से सात जनपदों में किसानों को वर्ष 2013–17 की अवधि में ₹ 9.39 करोड़ के अनुदान का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि सम्बन्धित घटकों जैसे कि चावल, गेहूँ, दलहन आदि में निधियों की उपलब्धता नहीं थी;

राज्य स्तर पर वर्ष 2016–17 की अवधि में, प्रमाणित बीजों के क्रय, कृषि यंत्र प्रदर्शन, इत्यादि निविष्टियों से सम्बन्धित किसानों का ₹ 13.58 करोड़ के अनुदान का भुगतान, सामान्य श्रेणी में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण लम्बित था। यद्यपि अन्य श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत धन उपलब्ध था जिसमें, उक्त श्रेणी में मांग के अभाव के कारण, सम्पूर्ण वर्ष हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि ₹ 53.92 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 21.16 करोड़ का ही व्यय हुआ था।

(प्रस्तर 2.2.5.2)

धनराशि का व्यावर्तन

जनपद अलीगढ़ एवं बदायूँ के उप कृषि निदेशकों द्वारा वर्ष 2014–15 की अवधि में, राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त किए बिना, ₹ 44.98 लाख का अंतर–घटक व्यावर्तन किया गया।

(प्रस्तर 2.2.5.3)

लाभार्थी का चयन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के किसी भी जनपद में जिला बीज समिति का गठन नहीं किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशानिर्देशों में प्राविधान होने के बावजूद उप कृषि निदेशकों ने लाभार्थियों के चयन में पंचायती राज संस्थाओ को सम्मिलित नहीं किया था। जिला बीज समिति के गठन न किए जाने एवं पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित न किए जाने के परिणामस्वरूप उप कृषि निदेशकों द्वारा लाभार्थियों का चयन मनमाने ढंग से किया गया।

(प्रस्तर 2.2.6.1)

बीजों का वितरण

वर्ष 2012–13 में चावल के बीजों (संकर एवं उन्नतशील प्रजातियों) का वितरण 71,164 क्विंटल से घटकर वर्ष 2016–17 में मात्र 12,904 क्विंटल रह गया जिससे 82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। गेहूं के बीजों के वितरण में भी 84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी जो वर्ष 2012–13 के 7.53 लाख क्विंटल से घटकर वर्ष 2016–17 में 1.21 लाख क्विंटल रह गयी। वर्ष 2012–13 में दलहन बीजों का वितरण भी 27,018 क्विंटल से घटकर वर्ष 2016–17 में 5,902 क्विंटल रह गया (78 प्रतिशत)।

कृषि–जलवायु क्षेत्र के अनुसार अपेक्षित बीजों के वितरण न होने एवं अंकुरण परीक्षण न कराये जाने के फलस्वरूप बीजों की निम्न गुणवत्ता के कारण कृषकों द्वारा सरकारी बीज भण्डारों की अपेक्षा निजी संस्थाओं को प्राथमिकता दी गयी जिसके परिणामस्वरुप सरकारी संस्थाओं से बीजों के क्रय में भारी गिरावट आई।

नमूना जाँच हेतु चयनित 10 जनपदो में से नौ जनपदों में वर्ष 2012–17 की अवधि में बीजों का अंकुरण परीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभागीय बीज भण्डारों द्वारा कृषकों को विक्रय किये जाने से पूर्व बीजों की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

बीजों की आपूर्ति एवं कृषकों को उन्हें वितरित किये जाने में गम्भीर विलम्ब किया गया था (नमूना जाँच विकास खण्डों में 32 प्रतिशत चावल, गेहूँ, दलहन और मोटे अनाज के बीजों का वितरण फसलों की बुवाई की अवधि की समाप्ति के पश्चात 8 से 209 दिनों के विलम्ब से किया गया)।

बहराइच, चित्रकूट, गाज़ीपुर, कानपुर नगर एवं सम्भल जनपदों में चावल, गेहूं, एवं दलहन के वितरित 61 प्रतिशत बीज उन कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिये निर्धारित प्रजाति के नहीं थे।

(प्रस्तर 2.2.6.2)

क्षेत्र प्रदर्शन के आयोजन में कमियाँ

संवर्धित कृषि पद्धतियों के क्षेत्र–प्रदर्शन में गम्भीर विसंगतियां थी क्योंकि प्रदर्शन संचालित करने हेतु कृषकों को आवश्यक मात्रा में बीज, पोषक तत्व, कीटनाशक और कृषि उपकरण नहीं प्रदान किए गए थे तथा फसल आधारित प्रदर्शन भी सम्पादित नहीं किये गये थे। पुनः क्षेत्र प्रदर्शन के आयोजन में मानकों का अनुपालन भी नहीं किया गया था।

जनपद अलीगढ़, बदायूँ, चित्रकूट, गाजीपुर, कानपुर नगर तथा मथुरा के उप कृषि निदेशकों ने वर्ष 2013–17 की अवधि में दलहन के क्षेत्र प्रदर्शन हेतु ₹ 94.35 लाख की लागत से 6000 विद्युत चलित लाइट ट्रैप्स का क्रय किया एवं प्रदर्शन के लिए चयनित क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता का सत्यापन किये बिना ही लाभार्थियों को वितरित कर दिया। फलस्वरुप लाइट ट्रैप्स पर व्यय की गयी ₹ 94.35 लाख की धनराशि अलाभकारी रही।

(प्रस्तर 2.2.6.2)

कृषि यंत्रों और उपकरणों हेतु कपटपूर्ण एवं अनियमित दावे

लेखापरीक्षा द्वारा छः जनपदों में, रोटावेटर एवं लैण्ड लेवलर के क्रय के 425 प्रकरणों की नमूना जांच में 89 प्रकरणों (21 प्रतिशत) में उप कृषि निदेशक द्वारा पारित किये गये अनुदान (₹ 33.50 लाख) के दावे झूठे पाए गए क्योंकि कृषकों द्वारा ट्रैक्टर परिग्रह के समर्थन में प्रस्तुत किए गए अभिलेख वास्तव में अन्य वाहनों, जैसे कि मोटर साईकिल, स्कूटर, कार आदि के थे।

नमूना जाँच के दस जनपदों में से तीन जनपदों में 462 लैण्ड लेवलर से सम्बन्धित ₹ 6.93 करोड़ के अनुदान का भुगतान 462 कृषकों को किया गया था जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार कृषक–समूह न होकर मात्र व्यक्ति थे।

(प्रस्तर 2.2.6.2)

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

राज्य एवं जनपद खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुई थी और इसलिये मिशन की गतिविधियों की समीक्षा निर्धारित अन्तराल पर नहीं हुई थी।

वर्ष 2013–14 के अतिरिक्त, विभाग द्वारा योजना का समवर्ती मूल्यांकन, दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष नहीं किया गया था क्योंकि राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति द्वारा योजना के समवर्ती मूल्यांकन पर निर्णय सूचित नहीं किया था।

(प्रस्तर 2.2.6.3)

जन्म एवं मृत्यु के पंजीयकों की कार्यविधि

जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के पंजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य एक वैधानिक अभिलेख का सृजन करना है जिसका उपयोग व्यक्ति के अधिकारों को स्थापित एवं सुरक्षित करने में किया जाये। इसका द्वितीयक उद्देश्य महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आकड़ों के संकलन हेतु डाटा स्रोत तैयार करना है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का डाटाबेस लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों एवं योजनाओं के समग्र नियोजन हेतु जनसंख्या–गतिकी को समझने के लिए सांख्यिकीय आकड़ों का भी एक स्रोत है।

जन्म एवं मृत्यु के पंजीयकों की कार्य प्रणाली की लेखापरीक्षा में, जिसमें वर्ष 2012–17 की अवधि आच्छादित है, निम्नलिखित उद्घाटित हुआः

जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण का स्तर

उत्तर प्रदेश में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत एवं पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, झारखण्ड और मध्य प्रदेश के स्तर की तुलना में पर्याप्त रूप से कम था। भारत के महापंजीयक द्वारा वर्ष 2016 के लिए प्रकाशित सांख्यिकी के अनुसार, जन्म के पंजीकरण के राष्ट्रीय औसत 86 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में शत प्रतिशत, झारखण्ड में 90.20 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 74.60 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य में केवल 62.50 प्रतिशत जन्म पंजीकृत थे। मृत्यु के पंजीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत 78.1 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 95.20 प्रतिशत, झारखण्ड में 70.30 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 60.90 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 35.50 प्रतिशत था।

(प्रस्तर 2.3.4.1)

वित्तीय प्रबन्धन

जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए वर्ष 2016–17 तक राज्य बजट में कोई प्रावधान नही किया गया था। शासन द्वारा लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अगस्त 2017 में एक अलग बजट लेखाशीर्ष खोला गया।

(प्रस्तर 2.3.4.2)

वार्षिक कार्य योजना का न बनाया जाना

भारत के महापंजीयक के सुझाव के बावजूद मुख्य पंजीयक, उत्तर प्रदेश द्वारा न ही प्रचार प्रसार और अभिलेखों के डिजिटलीकरण के सृजन एवं समर्थन हेतु कोई योजना बनाई गई और न ही भारत के महापंजीयक से 2012–17 अवधि के दौरान इस हेतु किसी धनराशि की मांग की गई। परिणामस्वरूप भारत सरकार से कोई भी धनराशि प्राप्त नही हुई।

(प्रस्तर 2.3.4.3)

नागरिक पंजीयन प्रणाली के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

भारत के महापंजीयक द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, कार्यकर्ताओं को नागरिक पंजीयन प्रणाली में आनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिये जाने के बावजूद, मुख्य पंजीयक, उत्तर प्रदेश द्वारा केवल शहरी क्षेत्रों हेतु योजनाओं को तैयार एवं प्रस्तुत किया गया और उन्ही के लिए वित्तीय सहायता की मांग भी की गयी, और इसलिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी कार्यकर्ता को आनलाइन नागरिक पंजीयन प्रणाली पर कोई प्रशिक्षण भी प्रदान नही किया जा सका। यह शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण का स्तर कम होने के कारणों में से एक कारण हो सकता है।

(प्रस्तर 2.3.4.4)

निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम की विफलता

चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, नर्सिंग होम इत्यादि में होने वाली जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के सम्बन्ध में, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या इस संबंध में उनकी ओर से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र के पदनामित पंजीयक को जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं की सूचना दी जानी है।

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार, जनपद के समस्त चिकित्सालयों में कार्यान्वयन/अनुश्रवण जिला पंजीयक (जिलाधिकारी)/अतिरिक्त जिला पंजीयक (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) द्वारा की जानी थी और गड़बड़ी करने वाले संस्थानों, जिनके द्वारा जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं की सूचना प्रदान नही की गयी थी, के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जानी थी। नमूना जांच किये गये छः जनपदों में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 667 निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों के सापेक्ष 266 निजी नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालयों द्वारा जन्म एवं मृत्यु की घटित होने वाली घटनाओं की सूचना सम्बन्धित क्षेत्र के पंजीयकों को नही प्रदान की गयी थी, फिर भी सम्बन्धित जनपदों के जिला पंजीयकों (जिलाधिकारी)/अतिरिक्त जिला पंजीयकों (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) द्वारा इनके विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नही की गई थी। मुख्य पंजीयक, उत्तर प्रदेश के पास उन निजी नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालयों की संख्या (समस्त राज्य के लिए) जिन्होने सम्बन्धित क्षेत्र के पंजीयकों को जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं की सूचना प्रदान नही की थी, की जानकारी भी नही थी। उनके द्वारा बताया गया कि यह सूचना केवल जनपदों में उपलब्ध हैं।

(प्रस्तर 2.3.4.5)

पंजीयकों द्वारा पंजीकरण में विफलता

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पदनामित पंजीयकों ने अपनी निर्दिष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन नही किया।

- लेखापरीक्षा अवधि में नमूना जांच किये गये छः जनपदों के सापेक्ष चार जनपदों में 75 पंजीयकों के सापेक्ष सात पंजीयकों द्वारा किसी भी जन्म की घटना को पंजीकृत नही किया गया था एवं पांच जनपदों में 14 पंजीयकों द्वारा मृत्यु की किसी भी घटना का पंजीकरण नहीं किया गया था।

- किसी भी नमूना जांच किये गये जनपद में जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों ने, जो कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयक पदनामित थे, 2012 से 2017 की अवधि के दौरान अपने सम्बन्धित चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाली जन्म (1.37 लाख) एवं मृत्यु (0.16 लाख) की घटनाओं को पंजीकृत नहीं किया था।

- नमूना जांच किये गये छः जनपदों के 75 पंजीयकों के सापेक्ष 42 पंजीयकों द्वारा जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को एक वर्ष या उससे अधिक विलम्ब से पंजीकृत किया गया था।

(प्रस्तर 2.3.4.6)

जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्रों को संयोजित न किया जाना

भारत के महापंजीयक के निर्देशों के बावजूद, उत्तर प्रदेश के मुख्य पंजीयक ने महत्वपूर्ण शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र को संयोजित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.3.4.7)

प्रमाण पत्र निर्गत न किया जाना

पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु ने राज्य में वर्ष 2014–16 के दौरान जन्म (34 प्रतिशत) और मृत्यु (20 प्रतिशत) पंजीकरण के सापेक्ष सम्बन्धित परिवार को अपेक्षित प्रमाणपत्र निर्गत नही किया।

(प्रस्तर 2.3.5.1)

अनुश्रवण

जिलाधिकारियों ने न तो नवम्बर 2017 तक अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया और न ही नमूना जांच हेतु चयनित 75 पंजीयक कार्यालयों में से किसी पंजीयक का जिला अधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों ने वर्ष 2012–17 के दौरान, अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित निरीक्षण ही किया था।

(प्रस्तर 2.3.6)

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

कटाव निरोधक कार्य हेतु समय से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण ₹ 2.20 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 2.4)

जनपद चन्दौली की एक सड़क के क्रस्ट ओवरले की अभिकल्पना मे अधिशासी अभियन्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण गणना किये जाने के फलस्वरुप ₹ 7.17 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(प्रस्तर 2.5)

निर्माण सामग्रियों के परिवहन हेतु टिपर की अधिक दर स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.16 करोड़ का अधिक भुगतान।

(प्रस्तर 2.6)

मार्ग के क्रस्ट अभिकल्प में वेट मिक्स मैकडम का अधिक प्रावधान एवं सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट के समतुल्य गुणक की त्रुटिपूर्ण गणना के परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ का व्ययाधिक्य।

(प्रस्तर 2.7)

कानपुर के एक मार्ग के सुदृढ़ीकरण के कार्य में मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सल की त्रुटिपूर्ण गणना और उसके फलस्वरूप क्रस्ट की दोषपूर्ण अभिकल्पना के कारण ₹ 2.59 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(प्रस्तर 2.8)

खतौनी निर्गत करने हेतु आवेदकों से प्रभार के रूप में संकलित ₹ 111.42 करोड़ का शासकीय राजस्व कोषागार में नहीं जमा किया गया और उसे शासकीय लेखे से बाहर रखा गया। बिना बजटीय आवंटन एवं विधायिका के अनुमोदन के संकलित धनराशि से ₹ 44.35 करोड़ का व्यय किया गया।

(प्रस्तर 2.9)

क्रीड़ा विद्यालय निर्माण हेतु अनुचित भूमि के चयन के परिणामस्वरूप ₹ 22.35 करोड़ के व्यय के पश्चात निर्माण कार्य का परित्याग।

(प्रस्तर 2.10)